


झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 19/02/2024 ई०।  
13/पी<sub>2</sub>-102/2021- 955 /सी०, श्री सुमित कुमार अग्रवाल, भा०पु०से० (2019),  
को भारतीय पुलिस सेवा में सेवा संपुष्टि की तिथि-26.08.2023 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा  
के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान-Level-11 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।


उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री अग्रवाल का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
19.02.2024  
(शैलेश कुमार सिन्हा)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-13/ पी<sub>2</sub>-102/2021- 955 /राँची, दिनांक- 19/02/2024 ई०।  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
19.02.2024  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-13/ पी<sub>2</sub>-102/2021- 955 /राँची, दिनांक- 19/02/2024 ई०।  
प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,  
झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ माननीय राज्यपाल के  
प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/  
अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं  
पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं  
अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड,  
राँची/महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक,  
झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी  
प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी  
समादेष्टा, झारखण्ड/ श्री सुमित कुमार अग्रवाल, भा०पु०से०, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड,  
राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी  
प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि  
से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

  
19.02.2024  
सरकार के अवर सचिव।